

श्री बाबु लाल वर्गरे

बनाम श्री नारायण लाल वर्गरे

सुकरना एम्स 212 जाफा 39, 1, 2

नं. 6/2018 तारीख 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

12-4-18

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।
अप्राधीगण को जरूरी सम्मग तलब
किया जाकर पत्रावली दिनांक 25-4-18
को पेश की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. सदयपुर (राज.)

25-4-18

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रातिवादी उपास्थित।
गैरस्थित अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
प्रमथ... होने से
पत्रावली दिनांक 7-6-18 को पेश होवे।

रिश्त

7-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत
जमाद आपक द्वारा शिविर स्थल
जवाब पत्र दिनांक 26-6-18 को
पेश की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जि. सदयपुर (राज.)

26-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत
शिविर जवाब पत्र प्रस्तुत हुई। पत्रावली
में वादी का स्वेच्छा से वाद
विद्रो कर्त का उर्ध्वना का पेश
किया गया। वादी द्वारा कहा गया
कि हम वादी से उर्ध्वना में
आपसी समझौता हो गया है तथा
- निरन्तर -

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु. नं. 6/2018	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में ज
----------------	--	---

वादी आगे वाद में कोई कार्यवाही नहीं
 चाहता है वाद विद्रा करना - चाहत है वादी
 का वाद विद्रा उभरना - जा स्वीकार किया
 जाता है वाद निर्वाह खुले न्यायालय में
 सुनाया गया, पत्रावली केवल शुमार होकर
 नम्बर से कम ही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

(Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page)